वर्तमान परिपेक्ष्य में
चौधरी रणबीर सिंह की
प्रासंगिकता

प्रकाशक

चौधरी रणबीर सिंह पीठ

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

चौधरी रणबीर सिंह पीठ

E-1131-1000 MDU Press

दो शब्द

कुछ लोग अपने कर्म और सामाजिक जिंदगी के सवालों के प्रति निष्ठा के धनी हुआ करते हैं – लीक से हट कर, सामान्य से चलकर खास तक। ऐसे ही एक महापुरूष स्वतन्त्रता संग्राम के विलक्षण सिपाही चौधरी रणबीर सिंह थे, जिनका रोहतक जिले के गांव सांघी से संविधान सभा तक का सफर कर्मठता की कहानी है। जमीनी हकीकतों से रस लेकर अपनी सोच को समय की मांग पर पैना करके उन्होंने बड़ी सादगी का जीवन जिया तथा जमीन पर पैर जमा कर चले। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक में कार्यरत चौधरी रणबीर सिंह चेयर द्वारा प्रस्तुत यह आलेख प्रान्त के एक विलक्षण व्यक्तित्व को सही आईने में रख कर परखने के लिए उपयोगी होगा। चौधरी रणबीर सिंह ने उम्र के मात्र 32 वर्ष पूरे किए ही थे, जब उन्हें संविधान सभा के लिए चुन लिया गया था। उस सदन में देश की जानमानी हस्तियां सदस्य थीं। अपने विधायी जीवन की इस शुरुआत में ही अपने बेबाकीपन से वे ग्रामीण भारत और विशेषकर खेती-किसानी के प्रवक्ता ही बन गये थे। उनकी किसान की जिंदगी के बारे गहरी समझ की छाप सदन पर रहती। स्थानीय सवालों को राष्ट्रीय दृष्टि से परखते और नीतिगत भेदभावों से लडते। सन् 1987 में राज्य सभा में कार्यकाल समाप्त होने के साथ साथ उन्होंने चुनावी राजनीति से अपने को अलग कर लिया तथा सामाजिक आन्दोलनों को समर्पित हो गये थे। ऐसी मिसाल बिरला ही होती हैं। उम्मीद है, यह प्रकाशन उनके बारे में कुछ नया सीखने को देगा।

चौधरी रणबीर सिंह पीठ

वर्तमान परिपेक्ष्य में
चौधरी रणबीर सिंह की प्रासंगिकता

क्यों याद रखनेलायक हैं
चौधरी रणबीर सिंह?

भारत के इतिहास में स्वतन्त्रता आन्दोलन एक अनोखा अध्याय बन कर उभरा है। इसे इसी तरह देखना चाहिए। वह सामान्य से हट कर लम्बी अवधि तक ही नहीं चला, इसमें अनोखे प्रयोग भी हुए। इसका आरम्भ सन् 1857 से है, जो अवाम की पहलकदमी की अनोखी मिसाल बना। दूसरे, सन् 1857 के क्रांतिकारी संघर्ष को नेतृत्व देने के लिए किसी संगठित राजनीतिक पार्टी का वजूद भी दिखलाई नहीं पड़ता है। परन्तु, इसने बहुत अनोखी शख्सियतों को जन्म दिया। प्रायोजित इतिहास की दास्तान अब तक जिन नेताओं को सामने लाता है, वे छोटे बड़े राजे रजवाड़े थे। उनसे हट कर ऐसी शख्सियतों की कतार लगी हुई है, जो सामान्य किसान, मजदूर, दस्तकार की श्रेणी से थे। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इस अद्भुत जनक्रांति की विफलता का कारण किसी संगठित राजनीतिक पार्टी का अभाव या एक नेता का न होना है जैसा कि फ्रांस की क्रांति में 'पैरिस कम्यून' की विफलता का विश्लेषण करते हुए मार्क्स ने एक समय गिनाया था। बाद में सन् 1947 तक चले भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन ने भी बहुत अनुकरणीय शखिसयतों को यहां जन्म दिया। इनमें एक हरयाणा क्षेत्र से चौधरी रणबीर सिंह थे। अपने इन शूरवीरों को याद रखने का अपना महत्व है तो चौधरी रणबीर सिंह याद रखने लायक स्वतन्त्रता संग्राम की ऐसी कृति हैं, जिनकी प्रासंगिकता का अन्य बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष भी है जिसपर अब तक कम ही ध्यान दिया गया है। यह सच नहीं है कि चौधरी रणबीर सिंह की शोहरत इसलिए है कि उनका एक बेटा हरयाणा का मुख्यमन्त्री बना। उनकी अपनी विशिष्ट

शख्सियत बहुत पहले की है और महत्व अलग प्रकृति का है। यह मात्र संयोग था कि उनका परिपक्व उम्र में निधन जब हुआ उनका बेटा प्रान्त का मुख्यमन्त्री था और उनके सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में योग पर श्रद्धासुमन अदा हुए। यह अन्यथा नहीं हो सकता था। उन्हें श्रद्धांजलि देने में कहीं किसी कोने से यदि रंग चढा हो तो यह वर्तमान राजनीतिक मूल्यों में सत्ता के प्रति अति अनुराग का दोष है जिससे हट कर चौधरी रणबीर सिंह को परखना चाहिए। प्रान्त के जीवन में उनको याद रखने का आधार इस तथ्य से अलग उन मूल्यों में अधिक है जिनको जिंदा रखने का अर्थ स्वयं एक स्वस्थ समाज की आवश्यकता बनती है। राजभक्ति का ऐसा भाव उत्पन्न करने में अधिकतर वे पत्रकार या अन्य लोग भी थे जो सत्ता को समाज से ऊपर मान कर चल रहे होते हैं। ये नहीं समझ सके कि सन् 2009 की पहली फरवरी को निधन पर उनको इस रूप में पेश करने का स्वयं यहां के समाज के प्रति क्या अनर्थ होगा। यह सामने भी आया और उनको ठीक से समझने की दृष्टि एक समय तक गायब सी रही।

चौधरी रणबीर सिंह की आज प्रासंगिकता उनके जीवनदर्शन के एक दूसरे पक्ष में निहित है जिसे कम ही आंका गया है। बल्कि, यह कहा जाए कि इसे लगभग अनदेखा किया गया तो गलत नहीं होगा। इसे रेखांकित करना महत्व का विषय है, क्योंकि इसका सम्बंध केवल हरयाणा ही नहीं बल्कि, आज राष्ट्रीय महत्व के सवाल से जुड़ा हुआ है। वह है देश के विकासपथ पर उनकी दृष्टि, उनकी सोच। इस अर्थ में चौधरी रणबीर सिंह को जानना समझना किसी एक परिवार, गांव या प्रान्त की सीमा में बंधा सवाल नहीं है, जबकि उनकी सोच एवं मूल्यों को एक खास परिवार, गांव व प्रान्त की परिस्थितियों ने घड़ने में भूमिका अदा की है जिन्हें सामने रख कर सही परिपेक्ष्य को समझा जा सकेगा।

(2)

सांघी गांव से चल कर देश के राजनीतिक पटल पर अपना खास स्थान बना लेने वाली अनूठी शख्सियत थे चौधरी रणबीर सिंह। अपने जमाने की राजनीति में उनका सफर राजनेता से राजनीतिज्ञ का दर्जा पाने का था। हरयाणा में यह दर्जा बिरला ही पा

सका। दिग्गजों में वे दिग्गज थे। इसलिए नहीं कि जोडतोड़ से पदों की दौड़ में वे अव्वल रहे या नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच, उनका आचरण, उनकी निष्ठा का अन्य राजनेता सानी नहीं था। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन से प्राप्त मानदण्डों से गिर कर कभी आगे बढ़ने को अपनी सीढी नहीं बनाया। कठिन समय में हरयाणा का यह बिरला उदाहरण है। ऐसी शख्सियत को याद रखना स्वयं समाज की सेहत के हक में ही नहीं, भावी पीढियों की राह रोशन करने हेतु यह एक आवश्यक उपादान बनता है।

हरयाणा में रोहतक जिले का सांघी गांव किसानों की अनजानी बस्ती नहीं है। ये किसान अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं जैसा इस क्षेत्र में दूसरे हैं। सांघी गांव अनेक सामाजिक हस्तियों का गांव भी है, वहीं स्वतन्त्रता आन्दोलन में इसका खास योगदान रहा है। सांघी के चौधरी हरधन सिंह व उनके पुत्र चौधरी मातू राम अपने समय के सामान्य किसानों की भांति कर्मठ किसान थे, लेकिन उनका सामाजिक रुतबा खास था। चौधरी मातू राम इस क्षेत्र में आर्य समाज व कांग्रेस नीत आन्दोलनों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि थे। घर में परिवेश उच्च मूल्यों का था। इस घर में रणबीर सिंह गो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, किन्तु सारा माहौल उनके व्यक्तित्व को निखारने एवं गति देने वाला था। क्षेत्र में जिस समय किसान का बेटा मामूली पढ़-लिख कर ही सरकारी नौकरी में जगह पाने को लालायित रहता था, पढाई-लिखाई में स्नातक स्तर पार करके चौधरी रणबीर सिंह की अपनी लगन का मुख्य विषय स्वतन्त्रता आन्दोलन बना। अपने जीवनकाल में वे निष्ठा व लगन के धनी थे जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन की विरासत को निभाया। वे ग्रामीण भारत के सशक्त आवाज बन कर उभरे। यह वह समय था जब देश अपने लिए नये अध्याय को खोल रहा था और चारों ओर आशा के वातावरण में भविष्य की रूपरेखा खींची जा रही थी। ऐसे समय चौधरी रणबीर सिंह ने ग्रामीण भारत की जोरदार पैरवी की और दूसरे प्रभावी लोगों से हट कर खेती में देश का भविष्य देख रहे थे। कांग्रेस के वे कर्मठ कार्यकर्त्ता थे और गांधी जी की सोच को लेकर चले। उन्हें सन् 1947 में आजाद देश के लिए नयी इबारत लिखने के लिए नवगठित संविधान सभा में सदस्य चुन लिया गया।

राजनीति उनकी सामाजिक लगन का विषय बना और कृषि को उन्होंने अपना पारिवारिक पेशा बना कर रखा। कृषि और ग्रामीण जीवन की उभरती बिगड़ती स्थिति अन्त तक उनकी चिंता का प्रमुख विषय रहा।

चौधरी रणबीर सिंह के जीवनदर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष एक विशेष परिस्थिति की देन है। भारत में ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का संघर्ष अनेक उतार-चढाव व अनेक विलक्षण विभूतियों के उभार तथा अनेक वैचारिक धाराओं की परीक्षणस्थली बनने का समय था, जिसमें टकराहट थी तो साथ साथ मिलन के अनूठे प्रयोग हुए और विशिष्ट जीवनमूल्यों की सृष्टि की थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी व सन् 1857 के जनउभार की विफलता के बाद यहां ब्रिटिश ताज के सीधे शासन की दमनकारी एवं शोषणमूलक नीतियों से आमजन बेज़ार हो उठा था। खेती-किसानी तबाह हुई। इस उभरती स्थिति से निपटने के लिए भारत में इस औपनिवेशिक शासन ने अपनी आर्थिक व प्रशासनिक नीतियों के जरिये एक हिमायती वर्ग को खड़ा किया। हरयाणा क्षेत्र में खेती-किसानी तबाह हुई तो रोजगार के लिए यहां केवल पुलिस व सेना के दरवाजे खोल कर रखे जिससे राज का एक आज्ञाकारी तबका खड़ा हुआ।

इस अंग्रेजभक्त तबके ने गुलामी की काली रात को लम्बा करने में जहां भयंकर भूमिका निभाई वहीं सामाजिक जीवन में ऊंच-नींच व धार्मिक विभिन्नता को आपसी टकराहट में पलटने की राजनीति को खड़ा किया। यह सब पक्ष सामान्य जानकारी में हैं। साथ ही, यहां की अकेन्द्रिकृत ग्रामीण स्वव्यवस्था को प्रभावहीन बनाने की रणनीति अपनाई गयी। इसकी जगह अपने शोषणमूलक लक्ष्यों की खातिर अलग किस्म का प्रशासनिक ढांचा तैयार किया तो गांव स्तर पर सरकारी पंचायतों को बैठाया गया। एक समय आने पर इस परिस्थिति ने यहां प्रतिवादी आन्दोलन को जन्म दिया।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस द्वारा पेश हथियारबंद प्रतिरोध की जगह शांतिपूर्ण आन्दोलन के जरिये आजादी दिलाने का भरोसा दिलाया तो सन् 1857 की जनक्रांति की विफलता के बाद राज के आतंक को भुगत चुके अवाम ने इस सहज प्रयोग को

अंगीकार कर लिया। जगह जगह विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज उठने लगी। असहयोग आन्दोलन की सफलता पर हिचकचाहट के बावजूद कांग्रेस को जनसमर्थन मिला। तब भी एक समय तक हथियारबंद प्रतिरोध बराबर में चला लेकिन, बहुत सीमित प्रभाव वाला रहा और जलियां वाला बाग जनसंहार के बाद के काल में जो हथियारबंद प्रतिरोध उभरा उसे सरदार भगत सिंह व चन्द्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद ब्रिटिश शासक समाप्त करने में सफल रहे। गांधी के नेतृत्व में चले अहिंसक आन्दोलन की सीमाओं से संघर्ष खिंचता चला गया। इसके चलते सन् 1942 का प्रतिरोध गांधीजी के दायरे को लांघता लगा। बेचैनी बढी। इस कशमकश का स्थानीय प्रतिबिंम्ब चौधरी मातू राम का घर बना जहां आर्य समाज के सुधारक व शैक्षिक कार्यक्रम एवं स्वतन्त्रता आन्दोलन में क्रान्किारी तथा गांधी नीत कांग्रेस की दोनों तरह की धाराओं से जुड़ी गतिविधियों व उनसे जुड़े लोगों का केन्द्र बना। देश की इस पृष्ठभूमि में हरयाणा के ऐसे किसान परिवार का माहौल था जिसने चौधरी रणबीर सिंह के व्यक्तित्व को घड़ा। न वे डरपोक थे, न गांधी दर्शन से राज के आगे गिडगिडाने की कमजोरी उन्होंने पकड़ी, जैसा इस आन्दोलन में अनेक करते मिले। उनपर तो वक्त की सरकार ने हवाई अड्डा उड़ाने की साजिश करने का आरोप लगाया ही था। आगे चलकर वे महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य, सृजनशील व सच्चे गाँधीवादी, विशिष्ट समाजसेवी शख्सियत के साथ-साथ एक अनूठे दूरदृष्टा बन कर उभरे। उनकी भूमिका को देख कर कांगेस पार्टी द्वारा नामित जब वे 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पहुंचे तो उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष पार ही हुई थी।

चौधरी रणबीर सिंह एकमात्र ऐसे नेता हुए, जिन्होंने सात अलग-अलग सदनों में प्रतिनिधित्व करके लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया रिकार्ड़ बनाया। वे 1947 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य, 1948 से 1949 संविधान सभा विधायिका के सदस्य, 1950 से 1952 अस्थाई लोकसभा के सदस्य, 1952 से 1962 पहली तथा दूसरी लोकसभा के सदस्य, 1962 से 1966 संयुक्त पंजाब विधानसभा के सदस्य, 1966 से 1967 और 1968 से 1972 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य और 1972

से 1978 तक राज्य सभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए।

आजादी के बाद चौधरी रणबीर सिंह की राजनीतिक दीक्षा का पहला स्थल नवगठित संविधान सभा बनी। वे बंटवारे से पहले की संयुक्त पंजाब विधान सभा से चुन कर आए। उस समय संविधान सभा विभिन्न हितों को लेकर चल रहे प्रतिनिधियों का सदन था। इस बंटवारे में हिंदू थे तो मुस्लिम व इसाई भी थे। जैन थे तो सिख भी आए। अनुसूचित जाति के नुमाइंदे रहे तो जनजातियों के लोग थे। धनी वर्ग के हितों को लेकर चलने वाले थे तो कुछेक मेहनतकशों के हिमायती भी रहे। एक बंटवारा शहरी व ग्रामीण का था। गांधी को आदर्श मान कर चलने वालों का बंटवारा रहा तो दूसरे गांधीवादी आधुनिक विकास प्रेमी थे। सभी चाहते थे कि उनके सपनों के देश का संविधान बने। जब 4 नवम्बर, 1948 का दूसरा वृहद संविधान का मसौदा पेश करने के लिए विधि मन्त्री ने अपनी प्रस्तुती में बताया कि हमारी प्रशासनिक इकाई का आदर्श व्यक्ति होगा और पिछड़ेपन के प्रतिनिधि गांव को हमनें अपनी सोच से बाहर कर दिया है तो सदन का बंटवारा एक ओर गांधी के ग्रामस्वराज तो दूसरे किनारे पर औद्योगिक सभ्यता की पश्चिमी प्रणाली को लेकर चलने हेतु बेचैन सदस्यों के बीच हो गया।

भावी संविधान हेतु सदन में बहस प्रमुखत: इन दो नजरियों के बीच चल पड़ी थी। अन्तिम क्षणों तक यानी 26 नवम्बर, 1949 को सदस्यों के हस्ताक्षर होने से पहले संविधान पास होने की अन्तिम घड़ी तक इन दो नजरियों के बीच का युद्ध जारी रहा। बीचबचाव का रास्ता भी अनेक सदस्यों को सन्तुष्ट नहीं कर पाया। चौधरी रणबीर सिंह सदन में संविधान के मसविदे पर 6 नवम्बर, 1948 को बोलने के लिए खड़े हुए और पहले क्षण ही बता दिया कि वे गांधी जी के गांव से प्यार करते हैं, उसे फलते फूलते देखना चाहते हैं! हम देखते हैं कि संसदीय व विधायी जीवन के अन्तिम क्षण तक वे अपने इस नजरिये पर अडिग हो कर चले। कहीं कोई लोच नहीं, कहीं कुछ सौदेबाजी नहीं! अपनी निष्ठा के प्रति पूरी तरह न्यौछावर रह कर उनका व्यक्तित्व निखरा। ऐसे बहुत कम राजनीति के खिलाड़ी यहां देखने को मिलते हैं जो अपनी

निष्ठा व सिद्धान्त को प्राथमिक मान कर चलते हैं। इनमें वे एक रहे। सफल राजनीति की जिस चालू परिभाषा का अब रिवाज है वे इससे अलग दिखे। अनेक अवसर पर उन्होंने उद्योग व शहरी तहजीब को नकारा और खेती की अनदेखी व उसके प्रति सरकार द्वारा भेदभाव का प्रतिवाद किया। वे अपनी तहजीब को भले से समझ रखते थे, बल्कि उसके उपासक थे।

नये संविधान को अनुग्रहित करने के बाद सदन जब अन्तरिम संसद में बदल गया तो उसमें हिंदू कोड बिल पर बहस के दौरान उन्होंने खेतिहर क्षेत्रों की संस्कृति का उल्लेख करते हुए उसे जबरन पलटने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने 22 सितम्बर, 1951 को सदन में बोलते हुए कहा कि हिंदू कोड बिल को मैं सरकार की अनाधिकार चेष्टा मानता हूँ। इस तरह वे कह कर रहे थे कि जनतन्त्र में ऐसे मामलों पर कानून बनाने का हक असीमित नहीं है। वे मानते थे कि जनतन्त्र में सामाजिक जीवन को चलाने में कस्टमरी लॉ यानी रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए कानून सरकार जनता की मांग पर ही बनाने का अधिकार है। कोई सरकार बिना जनता की मांग के ऐसा करेगी तो वह अनाधिकार चेष्टा होगी। उनका यह तर्क जनतान्त्रिक प्रणाली पर गहरी समझ को जाहिर करता है। उन्होंने जनतन्त्र व तानाशाही तथा राजतन्त्र में फर्क करते हुए यह बात कही। हिंदू कोड बिल में छिपे खतरे पर देखें उन्हीं के शब्द: सबूत दें कि पंजाब (हरयाणा तब पंजाब का अंग था) के किसी भाई ने आज तक चाहे वह हिंदू जाति का रहा हो, सिक्ख जाति का हो या मुसलमान जाति का रहा हो, एक आदमी ने भी कभी आवाज को बुलंद किया था कि हमारे कस्टमरी कानून हैं उसे हटा दिया जाए और उसकी जगह हमें मनु का कानून या याज्ञवलव्य या किसी का कानून हमें दीजिए। ....मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह अनाधिकार चेष्टा है। कोड बिल से आशय होना चाहिए था जो उससे संचालित हैं उनपर यह लागू किया जाए।...ऐसे समय में जबकि ब्रह्मनिक कायदे कानून ने सारे देश व समाज के रहन-सहन और रीति रिवाजों को अपने पंजे में जकड़ रखा है कि सोमवार को नहीं जा सकते, मंगलवार को यह नहीं कर सकते, और शनिवार को नहीं जा सकते तब पंजाब की...जाट जाति

....ने आज तक उस ब्रह्मनिक रूल के सामने सिर नहीं झुकाया। ...यह सच बात है कि हम लोग कभी हिंदू कोड से संचालित नहीं हुए। यह विचार कि जिन लोगों को आप अभी तक दिमागी ताकत पर गुलाम नहीं कर पाये थे, उनको आप समझते हैं कि पिछले दरवाजे से गुलाम कर लेंगे तो मुझे इसमें पूरा शक है।

देश लगभग सत्तर साल के औद्योगिक विकास का सफर तय करने के बाद भी अनेक विकट समस्याओं से रूबरू है। कलह, बेचैनी, छीनछपटी व मारधाड़ की प्रवृति निरन्तर बढती जा रही हैं। रोजगार विकट समस्या बनी खड़ी है तो मंहगाई से आमजन बेजार हैं। क्षेत्रीय सन्तुलन बिगडा है। गैरबराबरी खटकती है। कुछ महानुभावों ने इसे विकास के लिए आवश्यक बताने का हुनर ही सीख लिया है जिसे पाटना एक समय आदर्श था। संविधान सभा से लेकर अपने चुनावी राजनीति को अलविदा कहने की घड़ी तक चौधरी रणबीर सिंह ने ऐसी उठने वाली स्थितियों को भांप कर जिस राह को लेने का आग्रह किया था वह आज अधिक समीचीन दिखाई पड़ती है।

(3)

दशकों पहले ही चौधरी रणबीर सिंह ने इन समस्याओं और विकट परिस्थितियों से राष्ट्र को अवगत कर दिया था, जिनसे देश अब जूझ रहा है; जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता में बढ़ता अविश्वास, जात-धर्म, मजहब की राजनीति, राज्यों के विभाजन, बेरोजगारी, मंहगाई, उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण व मुआवजे का सवाल, आरक्षण की सियासत, ऑनर किलिंग, बर्बाद फसलों पर उचित मुआवजा, काला धन आदि अनेक समस्याएं आज चुनौती बनी खड़ी हैं। उनका समाधान दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। देश के चिन्तक, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री एवं नीति-निर्माताओं की इन समस्याओं पर माथापच्ची जारी है। परिणाम लगभग शून्य हैं। आजादी की भोर में ही इन अनेक चिन्ताओं एवं चुनौतियों से निपटने हेतु बेचैन चौधरी रणबीर सिंह का आग्रह उनकी दूरदृष्टि को बयान करता लगता है।

उन्होंने उन सात विभिन्न सदनों में ठोस तर्कों के साथ खासकर ग्रामीण भारत से जुड़े

मुद्दों पर बहस की जिनके वे सदस्य रहे थे। उन्होंने दूरगामी नीतियों के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने बार बार कहा कि देश की 80 प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है और देश की आत्मा गाँवों में ही बसती है, इसीलिए यहां नींव को मजबूत करके ही आगे बढा जा सकता है। ग्रामीण भारत और खासकर किसानी में लगे लोगों के प्रति जारी भारी भेदभाव से वे लड़ते रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि घर-परिवार, गांव व कृषि बचेगी तो देश बचेगा।

एक आदर्श जनप्रतिनिधि बनने में कौन योग्यता -कौन गुण होने चाहिएं? यह सवाल आज ही नहीं, बीसवीं सदी के पाँचवें दशक में भी उठा था। 4 अप्रैल व 23 नवम्बर, 1950 को चौधरी रणबीर सिंह ने इस सवाल पर जो कहा वह आज भी सटीक हैं। चौधरी साहब ने कहा था कि ''सांसद अथवा विधायक बनने के लिए आवश्यक योग्यता देश की सेवा होनी चाहिए। सदन का सदस्य होने से पहले देश और उन लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व वह करना चाहता है। संसद को ऐसे आदमी की आवश्यकता है, जो प्रशासनिक क्षमता रखता हो, बुद्धि रखता हो, मामले को जल्द समझ सकता हो और अभिव्यक्ति की काबलियत रखता हो। यदि सांसद अथवा विधायक की योग्यता यह रख दी जाए कि कम से कम पाँच, सात या दस एकड़ नयी जमीन को आबाद करे और काश्त में लाए तो वही सदन का सदस्य बने तो इससे देश का बहुत भला होगा।''[1]

चौधरी रणबीर सिंह जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक योग्यता देश व समाजसेवा के जज्बे को मानते थे। वे जनप्रतिनिधि बनने के लिए शिक्षित होने की शर्त अथवा योग्यता निर्धारण के एकदम विरुद्ध थे। उन्होंने 4 अप्रैल, 1950 को संसदीय बहस के दौरान दो टूक कहा कि ''अनपढ़ लोगों ने देश को बहुत कुछ समृद्ध किया है।'' उन्होंने अनपढ़ों की पैरवी करते हुए 23 नवम्बर, 1950 को संसदीय बहस के दौरान एक बार फिर कहा कि ''यह जरूरी नहीं है कि बड़ी-बड़ी उपाधियां लेने वाला संसद या विधान सभा के सदस्य के काम में अवश्य ही कामयाब हो। बल्कि, इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दुस्तान में कई ऐसे महानुभाव, जैसे प्रताप, रणजीत सिंह और

अकबर जैसे पैदा हुए, जिनके पास न कोई बड़ी उपाधियां थीं और न वे कोई पढ़े-लिखे ही थे।''[2]

चौधरी रणबीर सिंह ने जातिगत, धर्म-मजहब एवं वर्ग विशेष की राजनीति करने वालों को अनेक बार झकझोरा। लेकिन उनकी भाषा सदा शालीन बनी रही। उन्होंने 24 नवम्बर, 1972 को राज्यसभा में कहा कि ''यह धर्म के नाम पर जो राजनीति चलाते हैं, वह कोई अच्छा काम नहीं करते हैं।'' फिर, 6 मार्च, 1973 को कहा कि ''सस्ते नारे से तो देश का काम नहीं चल सकता है।''[3] उन्होंने राज्यसभा में 24 जून, 1977 को कहा कि ''इस देश की सेवा ही आदर्श होना चाहिए।''[4] ''मैं चाहता हूँ कि इस देश में राजनीति को भी ठीक विधि के मुताबिक चलाया जाये। अगर, आप ठीक रास्ते पर चलेंगे तो इस देश में लोकतंत्र ठीक प्रकार से कायम हो सकेगा।''[5] उन्होंने 28 मार्च, 1973 को कहा कि ''इस देश की जो कांस्टीट्यूशनल परिपाटियां हैं, उनके मुताबिक चलें।''[6]

उन्होंने विभिन्न अवसरों पर वर्गविहिन समाज के निर्माण पर बल दिया। 6 नवम्बर, 1948 को उन्होंने संविधान सभा की बैठक के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि, ''हम देश के अन्दर वर्गविहिन समाज बनाना चाहते हैं। यदि किसी को संरक्षण (आरक्षण) देना है तो उन्हीं आदमियों को देना है, जोकि किसान हैं, मजदूर हैं और पिछड़े हुए हैं।''[7] उन्होंने 24 फरवरी, 1978 को राज्यसभा में फिर स्पष्ट किया कि ''हमारे देश में संरक्षण और आरक्षण के बगैर गरीब कभी चल नहीं सकता।''[8] 25 अगस्त, 1961 को लोकसभा में कहा था कि ''यह जो धर्म और जाति की बातें की जाती हैं, छोटी गिनती वाली जाति और बड़ी गिनती वाली जाति की बात कही जाती है, इससे देश की तरक्की होने वाली नहीं है।''[9] उनका स्पष्ट मत था कि ''जिन छोटी जातियों को उनका हक नहीं मिलता है, उनको वह मिलना चाहिये। चाहे टैक्सेशन की नीति हो या देश की दूसरी नीति हो, उसमें उनका ध्यान रखना चाहिये।''[10] उन्होंने 11 दिसम्बर, 1973 को राज्यसभा में कहा कि ''संविधान में यह बात मानी गयी है कि पेशे, लिंग या मजहब की बिना पर कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता। लेकिन, इस देश में

जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भेदभाव होता रहता है।''[11] इससे पहले 24 अगस्त, 1961 को लोकसभा में कहा था कि ''हमने जब इस देश का संविधान बना था, उस वक्त हमारी कोशिश थी कि इस देश के अन्दर जो मत मतान्तर या कास्टीज्म या धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, वे खत्म हों। हिन्दुस्तान का वासी अपने आपको भारतीय समझना सीखे।''[12]

चौधरी रणबीर सिंह ने सदा किसानों के हितों की जबरदस्त पैरवी की। दूरदृष्टा की तरह उन्होंने 23 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में इसी मुद्दे पर चेताया था कि, ''जब तक हम उपज की कोई इकॉनोमिक प्राइस मुकर्रर नहीं करेंगे, तब तक किसान के साथ बड़ा भारी अन्याय होता रहेगा। एग्रीकल्चर की चीजों की इकॉनोमिक प्राइस मुकर्रर किये बिना किसान के आर्थिक जीवन में स्थायित्व नहीं आ सकता और उसको स्थायित्व देना बेहद जरूरी है।''[13] इससे पूर्व 6 नवम्बर को इसी सदन में किसानों पर टैक्स के सम्बंध में बड़ा सवाल खड़ा किया था कि, ''किसानों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है और ऐसे देश में जिसके अन्दर किसानों का प्रभुत्व है और जो देश किसानों का ही है, उसके अन्दर उनके साथ यह अन्याय जारी रहेगा तो यह कैसा मालूम देगा?''[14]

चौधरी रणबीर सिंह किसान, कृषि और देहात की उपेक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। उन्होंने राज्य सभा में 19 दिसम्बर, 1973 को दो टूक कहा कि ''जिन लोगों की इस देश में 30 फीसदी आबादी है, आज उनकी हमदर्दी करने वाले सब यहां पर बैठे हैं। लेकिन, जिन लोगों की 70 फीसदी आबादी है, उनकीं हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है।''[15] इसके बाद 8 मई, 1974 को इसी सदन में कहा कि ''हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री खेती है।''[16] चौधरी साहब ने किसानों की बदहालत के मूल कारणों से अवगत करवाते हुए 1 अगस्त, 1975 को राज्यसभा में कहा कि ''किसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उसके लिए नीति-निर्धारण करने वाले भाई वे हैं, जो तनख्वाहदार हैं। जो वेतन लेने वाले भाई हैं, उनकी एक ही नीति है कि अगर पहली तारीख को मिलने वाली तनख्वाह, 5 तारीख तक न मिले तो वे आवाज लगाकर

आसमान और जमीन एक कर सकते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं कि कृषि की हालत क्या है?''[17] साथ ही उन्होंने खिन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ''जो हमारे खेती के कर्णधार हैं, उन्हें देश की खेती का ज्ञान नहीं है। देश में खेती में क्या नुकसान और फायदा होता है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं है।''[18] इससे पहले 7 अप्रैल, 1951 को संसदीय बहस के दौरान कहा कि ''देश के अन्दर आज अनाज ज्यादा पैदा करने का काम उन आदमियों के जिम्मे होता है, जो यह नहीं जानते कि गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होता है और चने का पेड़ कितना बड़ा होता है?''[19] चौधरी साहब ने 1 अगस्त, 1975 को राज्यसभा में रखा कि ''खेती में कर्ज की हालत यह है कि दादा का लिया हुआ कर्ज पोता अदा करता है।''[20]

किसान एवं किसानी के प्रति सरकार द्वारा गम्भीरता न दिखाने के लिए कई बार चौधरी साहिब ने 26 मार्च, 1976 को राज्यसभा में बेझिझक कहा कि ''कृषि मंत्रालय में जो खेती करने वाले हैं, वे मंत्रालय के सरकारी कागजों में इतने फंस जाते हैं कि उनको कई दफा किसानों के हित की बात करते हुए शर्म आती है।''[21] फिर 17 अगस्त, 1976 को इसी सदन में किसानों की दशा से अवगत करवाते हुए कहा कि ''देश में जो किसान गर्मी और सर्दी में खून व पसीना एक करके मेहनत करके कमाता है, वह खुद झोपड़ी में रहता है और जो उसके सामान की बिक्री करते हें, वे महलों में रहता है और जो कोई चीज पैदा नहीं करते हैं, वे महलों में रहते हैं। पैदा करने वाला भूखा रहता है, पैदा करने वाले के बच्चे के लिए कोई तालीम नहीं। कोई आराम नहीं। जो व्यापार करता है, सिर्फ इधर से उधर कुछ घटाता है, कुछ बढ़ाता है, कुछ गलत तोलता है, काली डंडी रखता है, काने बाट रखता है उसके मकान और महल बनते हैं। इसके लिए सरकार को जागृत रहना जरूरी है।''[22]

बाद में, 22 जून, 1977 को सदन में रखा कि ''खेती 80 प्रतिशत आदमियों का धन्धा है और उसके लिये बोलेने वाला मेरे जैसा इस सदन में अभी तक कोई नहीं उठा।''[23] इससे बहुत पहले उन्होंने 21 नवम्बर, 1950 को संसदीय बहस के दौरान स्पष्ट किया था कि ''मुझे यह कहने में शर्म नहीं है कि इस देश में जिनके हाथ में ताकत है, उनका

काश्तकारों के साथ सीधा सम्बंध नहीं है।''[24]

चौधरी रणबीर सिंह ने 3 फरवरी, 1949 को संविधान सभा (विधायी) में कहा कि ''जो शहर के रहने वाले हैं, उन्हें खेती से न कोई प्रेम है और न कोई वास्ता।''[25] फिर 24 फरवरी, 1961 को लोकसभा में चेताया कि ''आगे भी कोई ऐसा वक्त न आ जाये, जब किसानों को बचाने की जरूरत पड़े।''[26] चौधरी साहब ने 26 नवम्बर, 1976 को राज्यसभा में साफ तौरपर कहा कि ''बिचौलियों के हाथ से हमें किसान को बचाना चाहिए।''[27] इसी सदन में 10 मई, 1974 को सुझाव दिया कि ''आज देश के अन्दर जरूरत इस बात की है कि जितने लोग खेती पर निर्भर हैं, उनमें से कुछ आदमियों को दूसरा धन्धा दिया जाये।''[28]

फसलों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण के सवाल पर बोलते हुए राज्यसभा में 1 अप्रैल, 1976 को बताया कि ''जो किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसको हिसाब से पैसा न मिले, यह अच्छी बात नहीं है।''[29] लोकसभा में 19 अप्रैल, 1961 को कहा कि ''एक तरह से देखा जाये तो काश्तकार जो पैदा करता है, उसका भाव तो घटा है और जिन चीजों को काश्तकार इस्तेमाल करता है, उनका भाव बढ़ा है। एक तरीके से अगर, कोई घाटे में रहा है तो हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ही घाटे में रही है।''[30] उन्होंने 22 अप्रैल, 1961 को दोहराया कि ''काश्तकार सर्दियों में सख्त सर्दी में और गर्मियों में इतनी गर्मी में काम करते हैं, जिसमें वे लोग नहीं कर सकते, जो सस्ता अनाज खाना चाहते हैं।''[31] चौधरी रणबीर सिंह ने बाजार में किसानों की फसल को उचित दाम न मिलने के मुद्दे को 2 अगस्त, 1950 में संविधान सभा में भी बड़ी प्रखरता के साथ उठाया था, ''किसान गेहूं मण्डी में ले जाते हैं। लेकिन, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है और वे इसे अपने घरों में वापस ले जाते हैं या कम कीमत पर व्यपारियों को बेचने को विवश होते हैं। केन्द्र सरकार हो या प्रान्तीय सरकार मार्केट को कन्ट्रोल करने में सफल नहीं हुई हैं व व्यापारियों पर दबाव नहीं बना पाई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एकमुश्त नीति अपनाई जाए।''[32] इसके साथ ही चौधरी साहब ने खेतीहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए भी संसद में

आवाज उठाई। उन्होंने 17 अप्रैल, 1951 को कहा कि ''जब खेत के मजदूर की मजदूरी तय हो तो आपको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि खेत की पैदावार के लिये भी ऐसा भाव तय करें कि जिससे उसके लिये वह फायदेमन्द हो।''[33]

देश में अनाज भण्डार गृहों की भारी कमी के चलते लाखों-करोड़ों का अनाज प्रतिवर्ष खराब होता है। चौधरी रणबीर सिंह ने इस मुद्दे को बेहद गम्भीरता के साथ 23 फरवरी, 1951 को संसद में उठाते हुए कहा था कि ''आज हमारे देश की हालत है, यहां पर भण्डार गृह भी नहीं हैं। हमारी बड़ी इच्छा है कि हम देश के अन्दर लगभग हरेक जिले में भण्डार गृह बनवा सकें।''[34] उन्होंने 15 मार्च, 1976 को राज्यसभा में एक बार फिर कहा कि ''आज हमारे देश में अनाज को भण्डारों में रखने की बहुत ही आवश्यकता है। आप किसानों को विश्वास दिलायें कि उनके अनाज को भण्डारों में सुरक्षित रखा जायेगा। क्योंकि, उन्होंने खून पसीना एक करके और मेहनत करके इस अनाज को पैदा कर रहे हैं।''[35] 22 जून, 1977 को दोहराया कि ''कम से कम भगवान के लिए इस अनाज (भण्डारित) को चूहों को मत खिलाईये, कीड़े-मकोड़ों से इसे नष्ट न होनें दें।''[36]

कालाबाजारी के चौधरी साहिब सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 24 फरवरी, 1948 की बहस में कहा कि, ''व्यापारी कुछ भी मेहनत नहीं करता, वह सारा मुनाफा ले जाता है और इसी वजह से ब्लैक मार्केट बढ़ता है।''[37] उन्होंने 15 फरवरी, 1951 को अंतरिम संसद में चेताया कि, ''जितना हमारे देश को कालाबाजारी करने वालों से खतरा है, उतना शायद दूसरे किसी आदमी से नहीं है। जहां तक कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आम कानून इस्तेमाल करने का सवाल है, अदालत में वकील लोग अधिकतर अपराधियों को बेकसूर साबित करन में कामयाब हो जाते हैं और वे रिहा हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें कोई दण्ड नहीं मिल पाता। मैं समझता हूँ कि मौजूदा कानून कालाबाजारी को रोकने में नाकाफी है।''[38] उन्होंने आगाह किया कि ''कालाबाजारी करने वालों के पास बडे-बड़े अखबार हैं, दूसरी बड़ी-बड़ी चीजें हैं, उनके पास रूपया काफी होता है।''[39]

16 मार्च, 1948 की संसदीय बहस में चौधरी साहब ने स्पष्ट कहा कि, ''हमारा देश देहाती और किसानों का देश है। अगर, देहातियों और किसानों की आर्थिक हालत खराब होती है तो तमाम हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति खराब समझनी चाहिए।''[40] फिर, 24 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में बहस करते हुए कहा कि, ''किसानों को आर्थिक आजादी तभी मिल सकती थी, जब ऐसा कायदा बनाया जाता कि जिस चीज को वह पैदा करते हैं, उसे उसकी लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए विवश न किया जा सकता होता।''[41] 21 नवम्बर, 1950 को संसदीय बहस के दौरान दो टूक शब्दों में कहा कि ''आप सस्ती लोकप्रियता के साधन इस्तेमाल करने चले हैं, उन्हें छोड़ दें और सही मायनों में देश की उन्नति करें, काश्तकार को ऊंचा उठायें और उसके द्वारा अपने देश को खुशहाल बनायें।''[42]

चौधरी रणबीर सिंह ने हमेशा देहात के विकास को प्राथमिकता देने की पैरवी की। 6 नवम्बर, 1948 को उन्होंने भारतीय संविधन सभा की बैठक में बोलते हुए कहा, ''इस देश के निर्माण में जितना बड़ा योगदान देहातियों का है, उतना हक उन्हें मिलना चाहिए और हर चीज में देहात का प्रभुत्व होना चाहिए।''[43] 22 अगस्त, 1949 की बहस में देहात के विद्यार्थियों के लिए लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आरक्षण की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि, ''जब लोक सेवा आयोग द्वारा कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तब एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और निर्णय करने की कसौटी वही होती है। हमारा देश गांवों का देश है और ग्रामीण जनता अधिक है। लेकिन, तथ्यों के आधार पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि शहर के लोगों का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और वे ग्रामीण जनता की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत हैं और इन परिस्थितियों में यदि ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति का शहरी क्षेत्र के व्यक्ति के साथ मुकाबला करवाया जाता है और उनसे एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस बात में संदेह नहीं कि ग्रामीण व्यक्ति, शहरी व्यक्ति के साथ सफलतापूर्वक अथवा समानता के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकेगा।''[44]

चौधरी साहब ने सुझाव दिया कि, ''इस स्थिति के समाधान के दो तरीके हैं। एक यह

है कि ग्रामवासी उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं में कुछ अनुपात आरक्षित कर दिया जाए और सेवाओं में उन्हें आरक्षित संख्या के पद आबंटित किये जाएं। उन पदों के लिए केवल ग्रामीण जनता के उम्मीदवारों को ही मुकाबला करने के लिए केवल ग्रामीण जनता के उम्मीदवारों को ही मुकाबला करने की अनुमति दी जाए। दूसरा तरीका यह है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि उनमें 60-70 प्रतिशत सदस्य ऐसे होने चाहिएं, जो ग्रामवासियों की कठिनाईयों को समझते हों और उनके साथ सहानुभूति रखें।''[45]

आजकल नये राज्यों के निर्माण के लिए कई तरह की सियासी चालें देश में चल रही हैं। इस मुद्दे पर चौधरी रणबीर सिंह सबसे हटकर विचार रखते थे। 1 अगस्त, 1949 को भारतीय संविधान सभा में उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, ''छोटे-छोटे टुकड़ों को अलहदा सूबों की शक्ल में रखना देश के हित में नहीं है। अगर हम इन्हें अलहदा रखेंगे तो हमें इतना ही भारी प्रशासनिक ढ़ांचा खड़ा करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा।''[46] हालांकि उन्होंने 2 अगस्त, 1949 की बहस में यह स्वीकार किया था कि, ''उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रान्त है और इतने बड़े प्रान्त का राज्य आसानी से नहीं चल सकेगा। इसलिए एक न एक दिन उनको उसके दो हिस्से करने ही होंगे।''[47]

गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी चौधरी साहब ने जो स्थिति बयां की वह आज भी जस की तस नजर आती है। उन्होंने 10 मार्च, 1948 को संविधान सभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि, ''देहातों के अन्दर हजारों ऐसे आदमी हैं, जो अपने आपको वैद्य कहते हैं और देहातियों की जिन्दगियों से खेलते हैं। हर कोई आदमी किसी वैद्य के पास जाता है और एक दिन में ही देहात के लोगों के लिए वैद्य बनकर बैठ जाता है। एलोपैथ डाक्टरों की तर्ज पर उन वैद्यों को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए और आपसे सर्टिफाइड वैद्यों को ही चिकित्सा की इजाजत मिले।''[48]

जमीन अधिग्रहहण बहुत विवादस्पद मसला है। जमीन अधिग्रहण से विस्थापितों के प्रति चौधरी रणबीर सिंह की गहरी सहानुभूति थी। इस सवाल पर उन्होंने 6 सितम्बर,

1948 को संविधान सभा (विधायी) में पैरवी करते हुए कहा था, ''मैं एक किसान और खेती करने वाला होने के नाते इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जमीन का मुआवजा क्या होता है? आप उसको मुआवजा दीजियेगा, मगर उसका जो पेशा है, वह इन रूपयों से पूरा नहीं होगा। अगर आप उसको दूसरा पेशा नहीं देते हैं तो आप उसे जमीन के बदले जमीन दें। इस बिल के अन्दर जो पैसे की शर्त है, उसको छोड़ दिया जाए और उसकी जगह यह रख दिया जाए कि उसको जमीन के बदले में उसी कीमत के बराबर की जमीन दी जाएगी।''[49]

चौधरी रणबीर सिंह ने जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे पर अपनी बेबाक राय प्रस्तुत करते हुए सुझाव दिए थे कि, ''जहां तक हो सके कृषि भूमि को छोड़ दें, क्योंकि, वहां काफी अन्न पैदा होता है। उसके बदले, जहां तक हो सके परती भूमि में से जमीन लें और उपजाऊ जमीन को छोड़ दें। परती जमीन पर जो सरकारी चीज बनाना हो वहां बनायें। अगर, किसी जरूरत के लिए वह समझें कि वे उस उपजाऊ कृषि भूमि को नहीं छोड़ सकते, तभी वे ऐसी जमीन पर अपना हाथ रखें या डालें, अन्यथा नहीं। लेकिन, उसके साथ-साथ, जैसाकि अधिग्रहण कानून में दर्ज है, बहुत मामूली सा मुआवजा देकर काश्तकार से अपना पल्ला छुटाना कोई अच्छी नीति नहीं है।''[50]

हिन्दू कोड' के प्रस्ताव पर 22 सितम्बर, 1951 को चौधरी रणबीर सिंह ने मत रखा और कहा कि, ''यह हिन्दू कोड बिल देश के अन्दर कुछ सुधार करने के लिये या सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये, उनमें तबदीली करने के लिये लाया जाता रहा है। आज जिस तरीके से जिस बैक डोर (पिछले दरवाजे) से यह बढ़ा है, वह कोई बहुत अच्छा ढ़ंग नहीं है। हमारा समाज इतनी उन्नति नहीं कर पाया है कि हम मान जायें कि यह सगोत्र विवाह ठीक है।''[51]

अपने समय चौधरी रणबीर सिंह ने नशाखोरी के खिलाफ देश व समाज को निरन्तर चेताया। वे देश में बढ़ती जा रही शराब की लत को बेहद घातक मानते थे। उन्होंने इस सन्दर्भ में 30 जनवरी, 1969 को हरियाणा विधानसभा में दो टूक कहा था कि ''जहां

हमारे देश और हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। लेकिन, कुछ बातों में देश पीछे भी गया है। जिन कारणों से देश पीछे रहा है, उनमें से एक कारण शराब का प्रयोग करना है।''[52] ''मैं इस हक में हूँ कि शराबबंदी होनी चाहिए, ताकि, समाज का सामाजिक स्तर ऊंचा हो।'' सुझाव दिया कि ''हमें चाहिए कि हम समाज को शराबबन्दी की बात को मानने के लिए तैयार करें।'' ''जब तक हम अपने भाईयों का जीवन स्तर, चरित्र निर्माण नहीं करते हैं तब तक यह शराबबन्दी नहीं हो सकती।''[53]

चौधरी रणबीर सिंह समाज में निरन्तर गिरते नैतिक मूल्यों के प्रति सचेत थे। इसपर ध्यान आकर्षित करते हुए 16 फरवरी, 1970 को हरियाणा विधानसभा में उन्होंने कहा था कि ''आज प्रदेश के अन्दर जो बात होती है, वह बड़े बूढ़ों की सलाह से नहीं होती है। आज जो करने वाले हैं, वे शक्तिशाली बच्चे हैं और बच्चे भी वे हैं जो बगैर रोमांस के कोई बात नहीं करना चाहते हैं। वे तो सिनेमा की फिल्म देखना चाहते हैं, वे शिक्षा लेना नहीं चाहते।''[54] ''बच्चे अपनी माँ को प्रात: उठकर नमस्कार नहीं कहते। वे तो फिल्म एक्ट्रैस देखना चाहते हैं।''[55]

शिक्षा पद्धति पर राज्यसभा में 4 अगस्त, 1975 को उन्होंने बात रखी: ''जिन विश्वविद्यालयों को हम अनुदान दे रहे हैं, वे हिन्दुस्तान में कैसे नौजवान पैदा कर रहे हैं? आया उनके जीवन में हिन्दुस्तान की सभ्यता का कोई नामोनिशान बाकी रह गया है या सब हिप्पी बन गये हैं। अनुशासन जैसी चीज, जो भारत की सभ्यता में थी, वह बाकी रही है या नहीं? अगर अनुशासनहीन स्नातिका, स्नातक पैदा किए तो वह देश की सेवा सही नहीं कर पायेंगे। वे देश के हितों के खिलाफ जायेंगे।''[56] उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि ''हमारे देश में जो शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं, वे पुराने जमाने की सोच के चले आ रहे हैं। अब देश की शिक्षा की बागडोर उन शिक्षा शास्त्रियों के हाथों में सौंप देनी चाहिये, जो देश को आगे ले जा सकते हैं और बदलते हुए जमाने के साथ देश को आगे बढ़ा सकते हैं।''[57] उन्होंने 16 दिसम्बर, 1977 को फिर कहा कि ''मैं समझता हूँ कि बेसिक एजुकेशन अगर, हम इस देश में चलाते तो हमारे देश में इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं होती।''[58] विद्यार्थी जीवन में राजनीति के वे खिलाफ थे। उन्होंने

इस बारे में राज्यसभा में 30 जनवरी, 1976 को अपने सुझाव देते हुए कहा कि ''अगर, हमें इस देश को बनाना है, विद्यार्थियों को बनाना है और आप चाहते हैं कि वे विद्या हासिल करें तो आपको विद्यार्थियों में राजनीति नहीं लानी चाहिये। हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जब राजनीति में पड़ जाते हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं।''[59] चौधरी रणबीर सिंह शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ थे। उन्होंने 10 अगस्त, 1973 को बताया कि ''मेरा कहना है कि शिक्षकों के लिए दुकान नहीं खोलिए।''[60]

देश में चल रहे हिन्दी-अंग्रेजी के विवादों और क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षाओं पर चौधरी रणबीर सिंह बेबाक सोच रखते थे। उन्होंने 3 सितम्बर, 1959 को लोकसभा में बहस के दौरान बड़ी गम्भीरता के साथ कहा था कि ''मैं चाहता हूँ कि यह हिन्दी का और दूसरी जबानों का झगड़ा अंग्रेजी के साथ खत्म हो। उस झगड़े को ज्यादा देर तक न बढने दिया जाए और उसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार और उसके अफसरों की नीति सही लाईन पर चले।''[61] ''मैं तो चाहता हूँ कि जितनी भी अन्य भाषाएं हैं, वे आगे आएं और इस सदन के अन्दर उनका भी हिन्दी में तर्जुमा हो।''[62] 11 फरवरी, 1969 को हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए हिन्दी को सरकारी भाषा बनाने के विषय पर उन्होंने कहा कि ''जिस ढ़ंग से हम हिन्दी भाषा को एक सरकारी भाषा बनाने जा रहे हैं, वह इस प्रकार से नहीं बन सकती। सरकारी भाषा बनाने के लिए हमें काफी प्रबन्ध करना पड़ेगा और काफी सूझबूझ से काम करना होगा।''[63] ''जितने भी कानून हैं, वे सभी हिन्दी में हों और उनका तर्जमा अंग्रेजी में हो। लेकिन, होता यह है कि मसला अंग्रेजी में बनकर आता है और हिन्दी में तर्जमा होता है। इसलिए, इसके उलट होना चाहिए।''[64] 3 सितम्बर, 1959 को लोकसभा में कहा था कि ''आज मुझे यह बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजी के पढ़े लिखे विधायकों, प्रशासकों, न्यायधीशों और वकीलों ने देश में अंग्रेजी को बनाये रखने की साजिश कर दी है।''[65] अंग्रेजी को प्रतिभा मापने का पैमाना बनाने पर ऐतराज जताते हुए लोकसभा में 9 मई 1959 को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ''अक्सर जो तरीका काबिलियत को नापने का है, वह यह है कि अंग्रेजी के ज्ञान से उसे नापा जाता है। अच्छा होगा कि जितनी जल्दी

हो सके हिन्दी या जो इलाकाई भाषाएं हैं, उनमें इम्तहानों को जारी करें।''[66] उनका मानना था कि कि ''देश की एकता के लिए जरूरी है कि इस देश की कोई एक भाषा बने, जो हिन्दी ही हो सकती है।''[67]

चौधरी रणबीर सिंह प्रजातंत्र के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने 16 फरवरी, 1970 को हरियाणा विधानसभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ''प्रजातंत्र के अन्दर लोगों को चलाने की जिम्मेवारी प्रजातंत्र के नेताओं पर होती है, चाहे वे विरोधी दल के नेता हों या चाहे सरकारी दल के नेता हों।''[68] 26 अगस्त, 1970 को इसी सदन में बात रखाी कि ''प्रजातंत्र में पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो।''[69] ''चुपचाप टैक्स लगाना प्रजातंत्र की भावना के विरूद्ध है।''[70] ''हमें कोशिश करनी चाहिए कि संविधान के पीछे जो धारणा है, उस धारणा को सामने रखकर हम चलें।''[71] चौधरी साहब ने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक संगठनों को मंजूरी देने की पैरवी करते हुए 15 मार्च, 1961 को लोकसभा में कहा कि ''अगर, हमको अपना काम सही ढ़ंग पर चलाना है तो उन यूनियन्स को मंजूरी देनी चाहिए, जो देश के हित का ध्यान रखती हैं।''[72] 24 जून, 1977 को राज्यसभा में पूछा कि ''हमारा आदर्श क्या है? हमारा आदर्श है, जनता की सेवा करना। देश का उत्थान करना और देश में प्रजातंत्र ही लोगों का राज रहे, लोकलाज रहे। इस सबको कायम रखना है।''[73] 12 फरवरी, 1971 को हरियाणा विधानसभा में कहा कि ''सच्चाई को छिपाने की कोशिश करना, प्रजातंत्र के सूत्र के खिलाफ है।''[74] ''बात हमारे हक में हो, वही बात हम कहें, यह अच्छी बात नहीं है और जो हमारे खिलाफ पड़ती है, उस बात को छिपाया जाये, यह तरीका अच्छा नहीं है।''[75]

देश व प्रदेश में विकास के मामले में भेदभाव की राजनीति निरन्तर चर्चित रही है। उन्होंने 26 अगस्त, 1970 को नसीहत देते हुए कहा कि ''आप पिछड़े हुए इलाकों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करो। लेकिन, पक्षपात न करो।''[76] 16 फरवरी, 1970 को हरियाणा विधानसभा में अपील करते हुए कहा कि ''सारे हरियाणा की इसी में भलाई है कि एक होकर चलें।''[77] भाई-भतीजावाद के सवाल पर 31 अगस्त,

1949 को संविधान सभा में कहा कि ''भाई-भतीजावाद को तभी रोका जा सकता है, जब अन्त:करण निर्मल व मजबूत हो जाये और उनके विचारों में परिवर्तन आ जाये।''[78]

देश में बढ़ती हिंसा और अपराधों के आलोक में चौधरी रणबीर सिंह ने कई बार गम्भीर विशखेषण प्रस्तुत किए, जोकि वर्तमान परिपेक्ष्य में भी प्रासंगिक लगते हैं। उन्होनें 8 फरवरी,1971 को हरियाणा विधानसभा में कहा कि ''हिंसा आदमी तब करता है, जब वह समझता है कि अहिंसा का हथियार वह नहीं चला सकता।'' ''यह तो देखना चाहिये कि अगर एक आदमी को इंसाफ नहीं मिलता तो वह जाये कहां? इन्साफ का रास्ता बन्द नहीं होना चाहिए।''[79] लोगों का कानून पर भरोसा कायम रहे, इसके लिए चौधरी साहब ने सुझाव दिया कि ''एक्शन ऐसा होना चाहिए जो न्यायोचित दिखाई दे, न्याय के मुताबिक हो और देखने में भी ऐसा लगे कि न्यायोचित है।''[80]

ग्रामीण भारत पर उनका मन था। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि ''गाँव बचेगा तो देश बचेगा।'' उन्होंने 16 मार्च, 1948 को संविधान सभा (विधायी) में बोलते हुए कहा था कि ''हमारा देश देहाती और किसानों का देश है। अगर एग्रीकलचरिस्टस और देहातियों की इकॉनोमी खराब हो जाती है तो तमाम हिन्दुस्तान की इकॉनोमी खराब समझनी चाहिये।''[81] 21 मार्च, 1949 को फिर दोहराया कि ''यह देश एक कृषि प्रधान देश है। इसके अन्दर 85 फीसदी आदमियों की रोटी का वास्ता सीधे खेती से है।''[82] 'अगर हमने अपनी कृषि की आलत को नहीं सुधारा, उत्पादन को नहीं बढ़ाया और ठीक नहीं किया तो हमारा देश जो आजाद हुआ है, वह आर्थिक दृष्टि से आजाद नहीं रहेगा।''[83] 22 जनवरी, 1976 को देहातियों पर लगाये जाने वाली टैक्स नीतियों पर हल्ला बोलते हुए कहा कि ''हमारे देश में जो अर्थशास्त्री हैं और जो किताबें पढ़कर टैक्स लगाने की बात करते हैं, वे ठण्डे और गरम कमरों में बैठकर विचार करते हैं। उनको गाँव की वास्तविकताओं का पता नहीं है।''[84]

चौधरी रणबीर सिंह ने देहात के गरीबों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक बुलन्द किया। 24 फरवरी, 1978 को राज्यसभा में दो टूक शब्दों में कहा कि ''जब तक गाँवों में रहने वाले गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक इस

देश का विकास नहीं हो सकता है।''[85] इससे पहले 30 मार्च, 1977 को कहा था कि ''अगर, आप चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सही हो, देश की अर्थव्यवस्था सही हो, यह जो तनख्वाहदार भाई हैं, इनके दबाव में आना छोड़ दें। यह तनख्वाहदारों का देश नहीं है। यह देश गरीबों का देश है, जिनकी आमदनी 30 रूपये महीना भी नहीं है।''[86]

उन्होंने 17 मई, 1976 को दो टूक कहा कि ''हिन्दुस्तान में जो भी योजनाएं बनीं, ऊंचे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गईं।''[87] 26 मई, 1976 को कहा था कि ''आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी योजनाएं हैं, उन पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें और हमारी जो पूंजीवादी सोच है, उसको समाप्त करें।''[88] ''हमारी विचारधारा यह होनी चाहिए, जिससे देश को फायदा हो, गरीब जनता को फायदा हो।''[89] 14 मार्च, 1978 को साफ कहा कि ''देश की तरक्की 60 करोड़ भाईयों की तरक्की है, यह चन्द बड़े बड़े कारखानेदारों से नहीं होगी।''[90]

बेलाग बोले कि ''देहात को आगे बढ़ाये बिना यह देश आगे नहीं बढ़ेगा।''[91] बेघर वालों की पैरवी करते हुए 7 मार्च, 1975 को कहा कि ''जिनके पास मकान नहीं हैं, उन सबको मकान के लिए भूमि मिलनी चाहिए।''[92] 26 अप्रैल, 1960 को लोकसभा में कहे चुके थे कि ''जो रियायत बड़ी-बड़ी मिलों को और बड़ी-बड़ी कम्पनियों और बड़े-बड़े सरमायेदारों को है, वही रियायत उतने ही हिसाब से एक गरीब आदमी को भी मिले।''[93]

यह तो कहा कि 'अपने देश की तरक्की करने के लिये इंडस्ट्रीज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये खास तौर से हिन्दुस्तान जैसे विशाल देश में जहां बेकारी बहुत ज्यादा फै ली हुई है, छोटे-छोटे धंधों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो जाता है।''[94] लेकिन 7 मार्च, 1975 को राज्यसभा में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए बताया कि ''हमारे देश में तरक्की तभी हो सकती है, जब कपड़ा बनाने की छोटी-छोटी खड्डियां बिजली से गाँव-गाँव में चलें, बजाय इसके कि हम बड़े-बड़े कारखानों की तरफ देखें।''[95]

दुधारू पशुओं के वध के वे प्रबल विरोधी थे। 12 दिसम्बर, 1950 को संसदीय बहस के दौरान स्पष्ट कहा कि ''भारतवर्ष में एक नही, लाखों नहीं, करोड़ों आदमी ऐसे हैं, जिनकी यह प्रबल भावना है कि हर एक जानवर का कत्ल होना बन्द हो।''[96] उन्होंने पशु हत्या के विरोध में भावनात्मक टिप्पणी करते हुए संसद में कहा कि ''जिन्होंने एक साल के अन्दर दस और पन्द्रह सेर दूध रोजाना दिया हो, ऐसे दूध देने वाले पशुओं की अगर रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते हैं।''[97] 25 नवम्बर, 1960 को लोकसभा में एक बार फिर कहा कि ''आज यह बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे देश में पशुधन का ह्रास निरंतर होता जा रहा है।''[98] ''एक जमाना था, तब दूध की पैदावार इतनी अधिक नहीं थी, जब हमारे देश के बारे में कहा जाता था कि यहां घी और दूध की नदियां बहतीं बहा करती थीं। अब हमारे देश के अन्दर घी और दूध की पैदावार क्यों कम हुई? उसके ऊपर हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना है।''[99]

वे जनता का शोषण करने वाले अंग्रेजी कानूनों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने राज्यसभा में 11 नवम्बर, 1976 को साफ तौरपर कहा कि ''जो हमारे कायदे-कानून हैं, वे हमारे देश की जरूरत के मुताबिक हों और ऐसे कायदे-कानून हम न बनायें जो अंग्रेजी तरीके से चलते हों। इनको हम जितना जल्दी छोड़ेंगे, उतनी ही देश की भलाई है।''[100] 24 नवम्बर, 1972 को कहा कि ''कानून से सारी बुराई रूक जाने वाली है, यह बात सही नहीं है।''[101] कानून में तब्दीली करने के सन्दर्भ में चौधरी साहब ने 24 नवम्बर, 1972 को दो टूक शब्दों में कहा कि ''कानून में तबदीली करके आप समझें कि आपका इलाज हो जायेगा तो वह मुमकिन नहीं होगा। इलाज तो इलाज करने से होता है।''[102] इससे पूर्व 22 अप्रैल 1961 को चेताते हुए कहा था कि ''खाली कानून से ही देश आगे चलने वाला नहीं है। देश आगे चलता है देश का दिमाग बदलने से, देश का स्वभाव बदलने से और देश का स्वाद बदलने से।''[103] उनका मानना था कि ''जब तक हम कुर्बानी अदा नहीं करेंगे, तब तक देश का हित कैसे हो सकेगा? हर देश कुर्बानी से बढ़ता है। कोई भी देश केवल कायदे और कानून बनाने से आगे नहीं बढ़

सकता है।''[104]

चौधरी रणबीर सिंह सकारात्मक पत्रकारिता के पक्षधर थे। उन्होंने 28 नवम्बर, 1974 राज्यसभा में कहा कि ''समाचार पत्रों में सही समाचार नहीं छपते। लड़ाई-भिड़ाई के समाचार छपते हैं।''[105] ''अखबार वालों और पत्रकारों को ठीक बात कहनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे पत्रकार इस बात को नोट करें और चार हजार को दस हजार न कहें और दो हजार को पचास हजार न कहें। जो सही बात है, उसी की खबर दें।''[106] श्रमजीवी पत्रकारों की पैरवी करते हुए कहा कि ''श्रमजीवी पत्रकारों को संरक्षण देना चाहिये।''[107]

देश की राजधानी दिल्ली से सम्बंधित मुद्दों पर भी कई बार दूरगामी सुझाव दिये। राज्यसभा में 9 अगस्त, 1977 को दिल्ली के हित में सुझाव दिया कि ''अगर आपको दिल्ली को बाढ़ से बचाना है तो किसाऊ बांध बनाना शुरू करें। साहिबी नदी के ऊपर डैम बनाना शुरू कीजिए, वरना दिल्ली शहर डूबता रहेगा और दिल्ली को बचाने के नाम पर हरियाणा को डूबोते रहेंगे।''[108] दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के वे पक्षधर नहीं थे, ''मैं समझता हूँ कि दिल्ली को अलग दर्जा देना गलती होगी। इस सरकार में और दिल्ली राज्य की सरकार के बीच हमेशा झगड़ा पैदा करेंगे।''[109]

कुल मिलाकर, चौधरी रणबीर सिंह देश व देहात से जुड़े हर मुद्दे पर बेहद गहरी सोच व समझ रखते थे। वे समय की नब्ज पहचानने वाले थे। बड़ी बात थी कि वे एक स्पष्टवादी, निष्पक्ष और सच्चाई के पक्षधर थे। उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी के हितों के लिए संघर्ष किया और उनके हित में बड़ी बेबाकी से आवाज बुलन्द की। उन्होंने निजी स्वार्थपूर्ति अथवा निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दूर रखा। वे एक योगी और सच्चे राष्ट्रचिन्तक थे। उन्होंने ग्रामीण भारत के जीवन को आत्मसात किया। संघर्ष की अग्नि में तपे हुए थे। ग्रामीण पृष्ठभूमि का उनका गहरा अनुभव ही उन्हें असाधारण शख्सियत का बना पाया। जो कहा, अनुभव और गहन अध्ययन पर आधारित कहा। इसी बदौलत, उनके विचार और सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं।

सन्दर्भ :

1. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 1, भाग 11, 4 अप्रैल 1950, पृष्ठ 2546

2. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 1, भाग 2, 23 नवम्बर 1950, पृष्ठ 478

3. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 6 March, 1973, Page 212

4. Rajya Sabha,Constitution (Amdt.) Bill, 1974, 24 June 1977, Page 136

5. Rajya Sabha,Constitution (Amdt.) Bill, 1974, 24 June 1977, Page 142

6. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 28 March, 1973, Page 246

7. संविधान के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क) पृष्ठ 248

8. Rajya Sabha, Re. Preferential Treatment to weaker Section, 24 February 1978, Page 160

9. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 25 अगस्त 1961, पृष्ठ 4908

10. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 25 अगस्त 1961, पृष्ठ 4908

11. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 11th December, 1973, Page 159

12. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 24 अगस्त 1961, पृष्ठ 4625

13. संविधान के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क) पृष्ठ 723

14. संविधान के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क) पृष्ठ 250

15. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 19th December, 1973, Page 154

16. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 8 May, 1974, Page 301

17. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 1st August, 1975, Page 18

18. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 1st August,

1975, Page 20

19. संसदीय बहस (भाग-दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), कार्यालय रिपोर्ट, पुस्तक सं. 8, भाग 2, 7 अप्रैल 1951, पृष्ठ 6273

20. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 1st August, 1975, Page 28

21. Rajya Sabha, Resaolution re. Scheme of Agricultural Commodity, 26 March 1976, Page 95

22. Rajya Sabha, Delhi Agricultural Marketing (Regulation) Bill) 1976, 1956, 17 Aug. 1976, Page 154

23. Rajya Sabha, Budget (General) 1977-78 - General discussion, 22 June 1977, Page 206

24. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 1, भाग 2, 21 नवम्बर 1950, पृष्ठ 391

25. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 1, प. 1, 3 फ रवरी, 1949, पृष्ठ 148

26. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 24 फ रवरी, 1961, पृष्ठ 1884

27. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 26th November, 1974, Page 238

28. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 10 May, 1974, Page 177

29. Rajya Sabha, Resaolution on Raod Development, 1 April 1976, Page 214

30. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 19 अप्रैल, 1961, पृष्ठ 12430

31. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 22 अप्रैल, 1961, पृष्ठ 13248

32. संसदीय वाद विवाद / खण्ड 1, भाग-11, पृष्ठ 153

33. संसदीय बहस (भाग-दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), कार्यालय रिपोर्ट, पुस्तक सं. 8, भाग 2, 17 अप्रैल 1951, पृष्ठ 6945

34. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 8, भाग 2, 23 फ रवरी 1951, पृष्ठ 3444

35. Rajya Sabha, Warehousing Corporations (Amdt.) Bill, 1976, Vol. II, 15th March. 1976, Page 94

36. Rajya Sabha, Budget (General) 1977-78 - General discussion., 22 June 1977, Page 200

37. संविधान सभा (विधायी) बहस, पुस्तक सं. 2, पृष्ठ 1163

38. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 8, भाग 2, 15 फ रवरी 1951, पृष्ठ 2965

39. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 8, भाग 2, 15 फ रवरी 1951, पृष्ठ 2968

40. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 16 मार्च, 1948, पृष्ठ 2223

41. संविधान के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 10, खण्ड XI - XII (क) पृष्ठ 4065

42. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 1, भाग 2, 21 नवम्बर 1950, पृष्ठ 400

43. संविधान के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क) पृष्ठ 247

44. संविधान के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख) पृष्ठ 842

45. संविधान के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख) पृष्ठ 843

46. संविधान के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख) पृष्ठ 109

47. संविधान के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख) पृष्ठ 137

48. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 10 मार्च, 1948, पृष्ठ 1861

49. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 6 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 1062

50. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 8, भाग 2, 15 मार्च 1951, पृष्ठ 4664

51. संसदीय बहस, (भाग-1, प्रश्नोत्तर) पुस्तक सं. 12-13, भाग 2, 22 सितम्बर 1951, पृष्ठ 3129

52. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 30th Jan. 1969,Vol. I, No. 2, Page (2) 60

53. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 30th Jan. 1969,Vol. I, No. 2, Page (2) 62

54. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 170

55. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 171

56. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 4th August, 1975, Page 97

57. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 4th August, 1975, Page 101

58. Rajya Sabha, Constitution (Amdt.) Bill, 1974, 16 December 1977, Page 60

59. Rajya Sabha, Constitution (Amdt.) Bill 1976, Vol. II, 30th January. 1976, Page 138

60. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 10th August, 1973, Page 132

61. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 3 सितम्बर, 1959, पृष्ठ 6289

62. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 3 सितम्बर, 1959, पृष्ठ 6290

63. Haryana Vidhan Sabha, The Haryana Official Language Bill, 11th Feb. 1969,Vol. I, No. 10, Page (10) 23

64. Haryana Vidhan Sabha, The Haryana Official Language Bill, 11th Feb. 1969,Vol. I, No. 10, Page (10) 24

65. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 3 सितम्बर, 1959, पृष्ठ 6288

66. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 9 मई, 1959, पृष्ठ 16139

67. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 24 फ रवरी, 1961, पृष्ठ 1885

68. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 166

69. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 26th Aug. 1970, Vol. II, No. 2,Page (2) 173

|70. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, VolI. I, No. 4, Page (4) 205

|71. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9) 112

72. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 13 मार्च, 1961, पृष्ठ 4534

73. Rajya Sabha,Constitution (Amdt.) Bill, 1974, 24 June 1977, Page 131

74. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 12th Feb. 1971, Vol. I, No. 5, Page (5) 45

75. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 12th Feb. 1971, Vol. I, No. 5, Page (5) 44

76. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 26th Aug. 1970, Vol. II, No. 2,Page (2) 174

|77. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 176

78. संविधान सभा के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख), 31 अगस्त, 1949, पृष्ठ 844

79. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 171

80. Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 163

81. स्वराज के स्वर, संस्मरण : चौधरी रणबीर सिंह, होप इण्डिया पब्लिकेशन्स, पृष्ठ 183

82. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 2, प. 2, 21 मार्च, 1949, पृष्ठ 1682

83. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 2, प. 2, 21 मार्च, 1949, पृष्ठ 1682

84. Rajya Sabha, Voluntary Disclosure of Income and Wealth Bill 1976, Vol. II, 22th January. 1976, Page 192

85. Rajya Sabha, Re. Preferential Treatment to weaker Section, 24 February 1978, Page 159

86. Rajya Sabha, Budge (General), 30 March 1977, Page 151

87. Rajya Sabha, Appropriation (No. 4) Bill, 1956, 17 May. 1976, Page 141

88. Rajya Sabha, Re deletion and inclusion in the constitution, 26 May. 1976, Page 190

89. Rajya Sabha, Re deletion and inclusion in the constitution, 26 May. 1976, Page 191

90. Rajya Sabha, Budget (General) 1978-79, 14 March 1978, Page 186

91. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 10 May, 1974, Page 182

92. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 7th March, 1975, Page 175

93. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 26 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 13916

94. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 26 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 13914

95. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 7th March, 1975, Page 176

96. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 1, भाग 2, 12 दिसम्बर 1950, पृष्ठ 1629

97. संसदीय बहस, पुस्तक सं. 1, भाग 2, 12 दिसम्बर 1950, पृष्ठ 1630

98. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 25 नवम्बर, 1960, पृष्ठ 2414

99. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 7 अप्रैल, 1961, पृष्ठ 10057

100. Rajya Sabha, Constitution (Forty-fourth Amdt.) Bill, 1976, 11 Nov. 1976, Page 70

101. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 24th November. 1972, Page 155

102. Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol.

LXXIX, 24th November. 1972, Page 155

103. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 22 अप्रैल, 1961, पृष्ठ 13247

104. संसदीय बहस, कार्यवाही, लोकसभा 1957-62, 22 अप्रैल, 1961, पृष्ठ 13246

105. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 28th November, 1974, Page 167

106. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 28th November, 1974, Page 172

107. Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 28th November, 1974, Page 171

108. Rajya Sabha, Statement by Minister, 9 August 1977, Page 229

109. संसदीय बहस (भाग-दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), कार्यालय रिपोर्ट, पुस्तक सं. 12-13, भाग 2, 28 अगस्त 1951, पृष्ठ 1517

संक्षिप्त जीवन घटनाक्रम

पिताश्री : चौधरी मातूराम

माताश्री : श्रीमती मामकौर

दादा जी : चौधरी बख्तावर सिंह

दादी जी : श्रीमती धन्नो

भाई-बहन :

1. डा. बलबीर सिंह
2. सुश्री चन्द्रावती
3. चौधरी फतेह सिंह

वर्ष	**विवरण**
1914 (26 नवम्बर)	: जन्म (रोहतक जिले के सांघी गाँव में)
1920	: प्राथमिक शिक्षा हेतु गाँव के स्कूल में प्रवेश।
1924	: प्राथमिक शिक्षा पूर्ण
1929	: लाहौर अधिवेशन में बड़े भाई के साथ शिरकत।
1933	: मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण
1937	: बी.ए. उत्तीर्ण
1937	: गृहस्थ जीवन में प्रवेश
1941	: सक्रिय राजनीति में प्रवेश

1941 (5 अप्रैल)	: प्रथम जेल यात्रा (व्यक्तिगत सत्याग्रह)
1941 (24-25 मई)	: जेल से रिहा
1941	: दूसरी जेल यात्रा (एकता आन्दोलन)
1941 (24 दिसम्बर)	: जेल से रिहा
1942 (14 जुलाई)	: पिताश्री का देहांत
1942 (24 सितम्बर)	: तीसरी जेल यात्रा (भारत छोड़ो आन्दोलन)।
1943 (25 अप्रैल)	: मुल्तान से लाहौर जेल में
1944 (24 जुलाई)	: जेल से रिहा
1944 (28 सितम्बर)	: चौथी जेल यात्रा (नजरबंदी उल्लंघन)
1944 (7 अक्तूबर)	: रोहतक जेल से अम्बाला जेल में
1945 (14 फरवरी)	: जेल से रिहा
1945	: पुनः गिरफ्तारी।
1945 (18 दिसम्बर)	: जेल से रिहाई।
1947 (10 जुलाई)	: संविधान सभा सदस्य निर्वाचित
1947 (14 जुलाई)	: संविधान सभा सदस्यता ग्रहण
1948 (6 नवम्बर)	: संविधान सभा में प्रथम भाषण
1952	: रोहतक लोकसभा सीट से विजयी
1957	: दूसरी बार हुए विजयी,
1962	: पंजाब विधान सभा में कलानौर से विजयी
1962	: पंजाब में बिजली व सिंचाई मंत्री

1966 (1 नवम्बर)	: हरियाणा-गठन।
	: मंत्री पद पर नियुक्त
1968 (12-14 मई)	: मध्यावधि चुनाव। पुनः विजयी
1972 (अप्रैल)	: राज्यसभा के लिए चुने गए
1977	: हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने
1978	: राज्यसभा में कार्यकाल सम्पन्न
1980	: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकाल सम्पन्न
2009 (1 फरवरी)	: स्वर्गवास
2009 (2 फरवरी)	: रोहतक में 'संविधान-स्थल' पर अंत्येष्टि